सं. 12019/03/2016-रा.भा.(शिका.)/विविध-1
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
एन.डी.सी.सी.-।। भवन, 'बी' विंग
चौथी मंजिल, जय सिंह रोड़
नई दिल्ली

दिनांक 29 फरवरी, 2016

विषय:-राजभाषा नियमों का उल्लंघन ।

वर्ष 2015 में प्राप्त सभी शिकायतों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से यह स्थिति सामने आई है कि प्राय: निम्नलिखित राजभाषा संबंधी नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

1. हिंदी के समाचार पत्रों में विज्ञापन अंग्रेजी में देना।
2. वेबसाइट द्विभाषी न होना।
3. हिंदी पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में देना।
4. राजभाषा द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमों के लक्ष्यों का प्राप्त न करना।
5. सरकारी कार्यालय के कार्यों में हिंदी की उपेक्षा।
6. बैकों / बीमा कंपनियों के फार्म द्विभाषी न होना।

राजभाषा के नियमों को पालन सुनिश्चित करवाना प्रत्येक मंत्रालयों / विभागों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी का कार्य है। अत: सभी से अनुरोध है कि रूचि लेकर हिंदी में कार्य नियमानुसार करवायें।

(गिरीश शंकर)
सचिव(राजभाषा)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय / विभाग

सं.12019/03/2016-रा.भा.(शिका.)/विविध-1

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

एनडीसीसी-|| भवन, बी. विंग, चौथा तल,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
दिनांक 29 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : समाचार पत्रों के कॉलमों में प्रकाशित लोक शिकायतें - शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता ।

लोक शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर निरंतर बल दिया जाता रहा है। इसी क्रम में प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग से उपर्युक्त विषय पर का.ज्ञा. प्राप्त हुआ है जिसको इस आशय के साथ परिचालित किया जा रहा है कि का.ज्ञा. में अंतर्निहित अभिप्रेत के अनुरूप अपने प्रभाग/अनुभाग से संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित शिकायतों पर संज्ञान लेकर उनका निवारण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

समाचार पत्रों में प्रकाशित लोक-शिकायतों की जांच करके उनका निवारण किया जाए एवं तत्संबंधी कार्रवाई से दो माह की समयसीमा के भीतर नागरिक को अवगत कराया जाए और यदि शिकायत का निवारण उक्त अवधि के दौरान नहीं हो पाता है तो उसे अद्यतन स्थिति से भी अवगत कराया जाए।

इसके अतिरिक्त पीजी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कर केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) को अद्यतन रखा जाए ताकि उपर्युक्त विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में सचिव महोदय, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग को अवगत कराया जा सके।

(डा. अवनीन्द्र कुमार)
परामर्शदाता (शिका.)

संलग्नक : यथोपरि

सेवा में,

1. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी)
2. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
3. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, सीजीओ कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली
4. सचिव (समिति), संसदीय राजभाषा समिति, 11 तीनमूर्ति मार्ग, नई दिल्ली
5. निदेशक (प्रशासन/बजट/सेवा)
6. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी)
7. उप-सचिव (प्रशिक्षण)
8. उप-सचिव (अनुसंधान/शिकायत)
9. संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)

सं. क्र. 11019/4/2015-लो.शि. सी1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

(लोक शिकायत प्रभाग)

सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली ; 110001

दिनांक : 11 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: समाचार पत्रों के कॉलमों में प्रकाशित लोक शिकायतें - शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता ।

******

एक कारगर शिकायत निवारण तंत्र सरकार की प्राथमिकता है । यह सरकार का दायित्व है कि प्रशासन को और अधिक अनुक्रियाशील बनाएं तथा लोक शिकायतों पर शीघ्र और सहानुभूतिपूर्ण रूप से ध्यान देने के लिए संस्थागत व्यवस्था स्थापित करें ।

2. अत: यह दोहराया जाता है कि सभी मंत्रालय/विभाग को उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों को देखने के लिए समाचार-पत्रों के शिकायत कॉलम की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से शिकायत का निवारण करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए । नागरिक को दो माह की समय-सीमा के अंदर शिकायत के निवारण हेतु की गई कार्रवाई के बारे में अविलम्ब सूचित किया जाना चाहिए । जहां शिकायत का निवारण करने में अधिक समय लगने की संभावना हो तो नागरिक को उठाए गए कदमों के बारे में उल्लेख करते हुए एक अंतरिम जवाब भेजा जाना चाहिए तथा यह आश्वासन देना चाहिए कि इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त आगे यह अनुरोध किया जाता है कि संबंधित मंत्रालय/विभाग के निदेशक, लोक शिकायत के नाम भी "pgportal.gov.in" पर अद्यतन रखा जाए ।

(स्मिता कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

CENTRAL REGISTRY
Dy. No.
16 FEB 2016

सेवा में

सचिव
मंत्रालय/विभाग (सूची के अनुसार)